

काश्त करने के लिए नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन-पत्र

एफ-22  
उपखण्ड

सेवा में

प्रभारी अधिकारी/एस.डी.ओ. साहब

में

आत्मज

निवासी

तहसील

जिला

व्यवसाय

निम्न निवेदन करता हूँ।

1. कि मैं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति हूँ।
2. कि मेरे स्वयं के नाम पर अथवा मेरे किसी संयुक्त परिवार के सदस्य के नाम पर कोई काबिल काश्त भूमि नहीं है।

**अथवा**

अभी मेरे पास निम्नांकित कृषि योग्य भूमि है।

क्र. सं-	गांव का नाम जहाँ भूमि स्थित है।	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	लगान
1					
2					
3					

3. कि मुझे स्वयं को काश्त के लिए भूमि की आवश्यकता है ओर मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 101 (4)(1/2/3) के अन्तर्गत नियम 1 के अधीन की हैसियत से प्रार्थमिकता।

अतः मुझे काश्त के लिए निम्नलिखित भूमि अथवा यदि निम्नलिखित भूमि नहीं हो तो अन्य कोई अनआकोपाइड सरकारी भूमि प्रदान (एलाट) करने की कृपा करें।

क्र. सं-	भूमि का विवरण	खाता न0	क्षेत्रफल	श्रेणी	सिंचाई के साधन विवरण सहित अगर कोई हो तो	लगान
1						
2						
3						

4. कि मैं इसके द्वारा टेनेन्सी एक्ट सन् 1955 (राजस्थान अधिनियम न0 3 सन् 1955) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सन् 1956 (राजस्थान अधिनियम न0 15 सन् 1956) एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलाटमेंट ऑफ लैण्ड फार एग्रीकल्चर परपजेज) नियम सन् 1970 के नियमों की पालना की प्रतिज्ञा करता हूँ।

स्थान  
दिनांक

**बाये हाथ के अगूठे का निशान/प्रार्थी के हस्ताक्षर**

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हू कि उपरोक्त प्रार्थना पत्रा के पेरोग्राफ संख्या  
से तक मेरे ज्ञान से सही है एवं पेरोग्राफ  
संख्या से तक मेरे विश्वास में सही है और मैंने सच कहा है और  
कोई सत्य नहीं छिपाया है।

गवाह

**बाये हाथ के अगूठे का निशान/प्रार्थी के हस्ताक्षर**

रिपोर्ट पटवारी हल्का

तहसील

कृषि प्रयोजनार्थ भू- आवंटन आवेदन पत्र पर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. प्रार्थी श्री पुत्र जाति उम्र  
निवासी तहसील  
का है।
2. प्रार्थी के पिता/दादा के नाम ग्राम तहसील  
मैं मुताबिक खाता सम्वत् चाही  
बारानी. कुल बीधा  
भूमि है।
3. प्रार्थी के पिता जीवित है/नहीं है। प्रार्थी स्वयं भ्राता है।
4. प्रार्थी के स्वयं के नाम ग्राम तहसील में चाही  
एवं बारानी कुल बीधा भूमि है।

5. प्रार्थी के पास स्वयं संयुक्त परिवार की भूमि से काल्पनिक हिस्सा मिलाकर कुल भूमि है जिसमें चाही एवं बारानी भूमि है।
6. प्रार्थी के पुत्र एवं पत्नी के नाम भी ग्राम एवं बारानी में चाही कुल बीधा भूमि है।
7. प्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु चाही गई भूमि खसरा रकबा ग्राम मे स्थित है जो सिवायचक है काबिज काशत है मौके पर किसी का अतिक्रमण नहीं है यदि है तो बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया क्योंकि अतिक्रमण श्री नियम (20) के अन्तर्गत भूमि के नियम का अधिकारी नहीं है।
8. उक्त भूमि पर वृक्षादि है/नहीं है यदि है तो उनकी अनुमानित कीमत रूपये है। भूमि की लगान दर है।
9. भूमि पर कुआं/मकान आदि है/नहीं है। अनुमानित कीमत हैं। भूमि विवादग्रस्त/सार्वजनिक हित की है/नहीं
11. प्रार्थी का व्यवसाय है।

**हस्ताक्षर पटवारी**

मैंने रिपोर्ट पटवारी एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया रिपोर्ट पटवारी सही है।

**हस्ताक्षर (भू0अभि0) निरीक्षक**

मैं रिपोर्ट पटवारी एवं भू0 अभि0 निरीक्षक से सहमत हूँ। प्रार्थना पत्रा को भू0 आवंटन सलाहकार समिति में प्रस्तुत किया जाए।

**हस्ताक्षर तहसीलदार**

## भूमि आवंटन सलाहकार समिति

मुकाम

दिनांक

श्री

पुत्र

जाति

उम्र

निवासी

का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

हेतु प्रार्थना पत्रा प्राप्त हुआ। प्रार्थी भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आता है, अतः सर्व सम्मति से ग्राम

के खसरा न०

में रकबा

बीधा आवंटित करने की राय दी जाती है।

सरपंच

प्रधान

विकास अधिकारी

तहसीलदार

विधायक

मनोनीत सदस्य :-

## आदेश अध्यक्ष भू-आवंटन सलाहकार समिति

भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार ग्राम

तहसील

की खसरा न०

की

बीधा भूमि

नियमानुसार आवंटित की जाती है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार दर्ज किया जाए,

आवंटन आदेश जारी हो। आवंटित आराजी का दखलनामा ट्रेस मौका लगान तथा भूमि में स्थित वृक्षराज

की सम्पत्ति के बारे में रिपोर्ट अन्दर 7 रोज तहसील में प्रस्तुत करें।

सहायक कलक्टर/उप जिलाधीश